26 पत्रावली पेश। वकलाय उभय/ पत्रावली
एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन तथा
बहस के मनन के पश्चात प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार
किया जाकर अप्रार्थीगणों को अंतरिम
अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद
तक पाबंद किया जाता है कि एक
दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी
नहीं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से
करावें दोनों पक्षकार ता फैसला मूलवाद मौके
की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद
के साथ नत्थी हो